



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अगस्त, 2019

श्रावण 14, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1469/79-वि-1-19-1(क)4-19

लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगीकरण और कृषि विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुगम बनाने तथा भू-धारकों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 10 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम  
संख्या 8 सन् 2012 की  
धारा 24 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में, उपधारा (4) में, शब्द "आयुक्त का आदेश अंतिम होगा," के स्थान पर शब्द "आयुक्त का आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यक्षीन अन्तिम होगा," रख दिये जायेंगे।

धारा 38 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (4) में शब्द "आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "आयुक्त का निर्णय, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यक्षीन अंतिम होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (3) में शब्द "इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा" के स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अध्यक्षीन अन्तिम होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 69 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 69 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) सामान्य उपयोगिता की भूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर उपगत व्ययों का भुगतान, और;"

धारा 72 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक या उससे अधिक मण्डलीय शासकीय अधिकृत (राजस्व) "जो परिषद के सर्किट न्यायालयों (जहां कहीं मण्डल स्तर पर सर्किट न्यायालय विद्यमान हों) से सम्बन्धित कार्य का देखभाल भी करेंगे और"

धारा 77 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 77 में, उपधारा (2) में शब्द "उसी ग्राम पंचायत" के स्थान पर शब्द "उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 80 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 80 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"80 (1) जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथा विहित जांच करने के पश्चात या तो कोई घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। उपजिलाधिकारी आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उपजिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों को उल्लिखित करेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देगा;

(2) जहाँ संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वहाँ ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर उपजिलाधिकारी, यथाविहित रूप में जाँच करने के पश्चात आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है या वह आवेदन अस्वीकृत कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उपजिलाधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों का उल्लेख करना होगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देनी होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिए जोत या उसके आंशिक भाग के चारों ओर चहारदिवारी अवश्य होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो।

परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी।

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि, भूमिधर, ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा (2) के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर, उपधारा (2) के अधीन घोषणा पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया-कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपधारा (2) की घोषणा को उपधारा (1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किये जाने पर, उपजिलाधिकारी यथा आवश्यक जाँच करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृति की स्थिति में उसे ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा।

परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन घोषणा का, उपधारा (1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह-भूमिधर द्वारा किया गया कोई आवेदन तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के समस्त सह-भूमिधरों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। यदि कोई एक सह-भूमिधर, संयुक्त हित की भूमि में से अपने अंश की घोषणा कराना चाहता है तो ऐसा आवेदन, भूमि में सह-भूमिधरों के अपने-अपने अंशों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार किये जाने के पश्चात् ही ग्रहण किया जायेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए आवेदन में ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे और उक्त आवेदन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(6) जहां उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन जोत के किसी आंशिक भाग के संबंध में किया जाता है, वहां उप जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे आंशिक भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है।

(7) इस धारा के अधीन कोई घोषणा, उपजिलाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग, ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो।

(8) यदि भूमि या उसका आंशिक भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जा रही हो, किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा आज्ञापक होगी।

(9) राज्य सरकार इस धारा के अधीन घोषणा के लिए शुल्क-मान नियत कर सकती है और भिन्न-भिन्न शुल्क भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए नियत किये जा सकते हैं:

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए करता है तो इस धारा के अधीन घोषणा के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।"

धारा 81 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 81 में, शब्द और अंक "धारा 80" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा-80 की उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे।

धारा 89 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 89 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किया गया या किये जाने हेतु प्रस्तावित किसी अर्जन अथवा क्रय को अनुमोदित कर सकता है, यदि ऐसा अर्जन अथवा क्रय, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था के पक्ष में हो, और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन अथवा क्रय लोक हित में होगा तथा उससे आर्थिक गतिविधियाँ (कृषि से इतर) उत्पन्न किया जाना तथा रोजगार उपबन्धित किया जाना सम्भावित हो। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्ध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या किसी पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गई हो वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का पांच प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती अथवा सकता है;

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा उपधारा (2) के अधीन विहित सीमाओं से अधिक भूमि अर्जन अथवा क्रय के लिए उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा निम्नलिखित द्वारा विहित शर्तों पर एवं विहित रीति से प्रदान की जायेगी:-

(एक) 20.2344 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित कलेक्टर;

(दो) 20.2344 हेक्टेयर से अधिक और 40.4688 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त;

(तीन) 40.4688 हेक्टेयर से अधिक भूमि अर्जित अथवा क्रय करने हेतु राज्य सरकार;

परन्तु यह कि यदि आवेदक, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को, तदनिमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अधिकतम अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है।”

11—मूल अधिनियम की धारा 94 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

धारा 94 का संशोधन

“94(1) कोई भूमिधर किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, किसी भूमिधर द्वारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति या कृषि निजी पट्टा हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी अन्य विधिमान्य इकाई को अपनी जोत या उसके किसी आंशिक भाग को पट्टे पर दे सकता है। ऐसे पट्टे को किसी भूमिधर के निजी पट्टा के रूप में जाना जायेगा।

(2) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का तात्पर्य पट्टाकर्ता, जो कोई भूमिधर हो सकता है, व पट्टेदार, जो कृषि क्रियाकलाप का दायित्व ग्रहण करना या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता हो, के मध्य पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्तों पर करार आधारित संविदा से है जिसके द्वारा पट्टा करार के अनुसार पट्टेदार को संदेय नकद या वस्तु या उत्पाद अंश के रूप में किसी प्रतिफल के सापेक्ष कृषि प्रयोजनों हेतु या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि या जोत या उसके किसी आंशिक भाग के उपयोग के लिए पट्टाकर्ता पट्टेदार को अनुज्ञा प्रदान करता है।

(3) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की अधिकतम अवधि एक बार में पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि, प्रथम पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात्, पट्टा अवधि की समय सीमा में पट्टाकर्ता व पट्टेदार की पारस्परिक सहमति से अग्रतर वृद्धि की जा सकती है:

परन्तु यह और कि, कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ, अधिकतम अवधि तीस वर्ष तक हो सकती है।

(4) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की शर्तें— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की निबन्धन व शर्तें, पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक करारकृत होंगी। पट्टे की सामान्य शर्तें यथा विहित रीति से होंगी।”

12—मूल अधिनियम की धारा 95 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

धारा 95 का संशोधन

“95 किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित या पट्टा किस प्रकार किया रजिस्ट्रीकृत हो सकता है—

जाएगा, उसका पर्यवसान तथा तत्सम्बन्ध में उठने वाला कोई विवाद

(1) किसी एकल फसल हेतु अथवा एक वर्ष तक की अवधि हेतु किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा मौखिक या लिखित में हो सकता है। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा करार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जायेगा;

(2) अधिकार अभिलेख की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा को अभिलिखित किया जाना—लिखित या रजिस्ट्रीकृत निजी पट्टा करार की स्थिति में, करार या विलेख की कोई प्रति, सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का विवरण [पट्टाकर्ता व पट्टेदार का नाम और अन्य विवरण; करार का दिनांक; पट्टा अवधि; प्रस्तावित भू-उपयोग और वार्षिक पट्टा किराया] अधिकार अभिलेख (खतौनी) की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में अभिलिखित करने हेतु आदेश पारित करेगा;

(3) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा से किसी प्रकार का अभिधारण अधिकार सृजित नहीं होगा— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या किसी राजस्व अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत या मौखिक, किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार से, पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार के पक्ष में संरक्षित अभिधारण या अधिभोग अधिकार या इस अधिनियम या नियमावली में अन्तर्विष्ट अधिकारों से भिन्न बेदखली या पट्टा पर्यवसान के विरुद्ध कोई अन्य अधिकार सहित कोई अधिकार या हित सृजित नहीं होंगे। पट्टेदार द्वारा निजी पट्टा करार का उपयोग, किसी विधि न्यायालय में पट्टाकृत भूमि पर कोई स्थायी अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं किया जायेगा;

(4) भूमि का पुनः प्राप्त किया जाना— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा के पर्यवसान के पश्चात् किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा— लिखित शून्य हो जायेगा तथा यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो पट्टाकृत भूमि स्वतः पट्टाकर्ता को प्रत्यावर्तित हो जायेगी और पट्टेदार समस्त विल्लंगमों से मुक्त भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा तथा वह इस प्रकार निजी पट्टा पर दी गयी भूमि का कोई अधिकार, हक या हित रखने से प्रविरत हो जायेगा;

स्पष्टीकरण— धारा 94 के अधीन किये गये निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी विवाद पर ध्यान दिये बिना, पट्टाकर्ता को निजी पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टाकृत भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राप्त करने का हक होगा तथा पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(5) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा का प्रभाव— किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे के सम्बन्ध में संहिता में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा;

(6) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे का पर्यवसान—

(क) जब तक पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक सहमति से बढ़ाया न जाए, करार में उल्लिखित निजी पट्टा, पट्टा अवधि के समाप्त होने पर निजी पट्टा, पट्टा करार का पर्यवसान हो जायेगा;

(ख) पट्टेदार द्वारा नियत दिनांक तक प्रतिफल धनराशि अथवा वार्षिक निजी पट्टा, पट्टा किराया का भुगतान न किये जाने की स्थिति में पट्टा अथवा यदि उसके द्वारा किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे की किसी निबन्धन एवं शर्त का उलंघन किया जाता है तो पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात्, पट्टा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किया जा सकता है;

(ग) यदि पट्टाकर्ता द्वारा समय से पूर्व किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार का पर्यवसान किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है, तो पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार द्वारा सृजित या स्थापित संरचनाओं, मशीनरी आदि को हटाने का हक होगा। पट्टेदार को पट्टाकर्ता से निजी पट्टा करार में यथा करारकृत और निर्धारित क्षतियाँ और प्रतिकर वसूल करने का भी हक होगा;

(घ) यदि पट्टेदार समय से पूर्व निजी पट्टा करार का पर्यवसान करना चाहता है या किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि के दौरान भूमि अभ्यर्पित कर देता है तो, उसे कम से कम छः माह की नोटिस पट्टाकर्ता को देनी होगी तथा वह पट्टाकर्ता को किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में यथा करारकृत तथा निर्धारित अन्य प्रतिकर के अतिरिक्त वर्ष के शेष भाग के वार्षिक किराये का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा या जैसा कि विहित किया जाय;

(ङ) यदि किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा अवधि की समाप्ति या निजी पट्टा करार के पर्यवसान के पश्चात् पट्टेदार, पट्टाकर्ता को पट्टाकृत भूमि का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने में विफल रहता है तो पट्टेदार अप्राधिकृत अध्यासी के रूप में समझा जाएगा तथा वह पट्टाकृत भूमि से बेदखल किये जाने योग्य होगा। पट्टेदार पट्टाकर्ता को अप्राधिकृत अध्यासन अवधि के लिए ऐसे शारिक्त किराया या क्षतियों का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा, जैसा कि ऐसी बेदखली की लागत के अतिरिक्त किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार में उपबन्धित किया गया हो;

(च) पट्टाकर्ता व पट्टेदार, पारस्परिक करारकृत निबन्धनों पर किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा किसी भी समय में पर्यवसानकृत कर सकते हैं;

(7) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टे से उत्पन्न होने वाले विवाद—

(क) किसी भूमिधर द्वारा निजी पट्टा करार या उसके किन्हीं निबन्धनों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में, पट्टाकर्ता व पट्टेदार स्वयं के मध्य या यदि पारस्परिक करार होता है तो किसी तृतीय पक्ष के मध्यस्थ या ग्राम पंचायत या ग्राम राजस्व समिति द्वारा मध्यस्थता का प्रयोग करते हुए विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान व निस्तारण करने के सभी प्रयास करेंगे,

(ख) यदि खण्ड (क) में उल्लिखित तौर-तरीके के माध्यम से विवाद का निस्तारण नहीं हो पाता है तो, दोनों में से कोई पक्षकार उपजिलाधिकारी के समक्ष याचिका दायर कर सकेगा;

(ग) उपजिलाधिकारी वाद संस्थित किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए विवाद का न्यायनिर्णयन करेगा;

(घ) किसी उपजिलाधिकारी द्वारा पारित किसी अन्तरिम आदेश से भिन्न किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आयुक्त के समक्ष दायर की जायेगी। आयुक्त का विनिश्चय धारा 210 के उपबन्धों के अधधीन, अंतिम होगा।”

13—मूल अधिनियम की धारा 96 और 97 निकाल दी जायेगी।

धारा 96 और 97 का  
निकाला जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 103 निकाल दी जायेगी।

धारा 103 का निकाला  
जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 104 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

धारा 104 का संशोधन

“(104) इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा किसी जोत अथवा उसके आंशिक भाग का प्रत्येक पट्टा अथवा हित संक्रमण शून्य होगा।”

धारा 105 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 105 में उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(ड) इस धारा के उपबन्ध, धारा 94 के अधीन किये गये किसी पट्टे पर लागू नहीं होंगे।”

धारा 108 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा 108 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित नातेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्-

(क) विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र-पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार:

परन्तु यह कि किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और अविवाहित पुत्री और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;

(ख) माता और पिता ;

(ग) विवाहित पुत्री ;

(घ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों;

और पूर्व मृत भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ड) पिता के पिता का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ण) माता की माता का पुत्र और अविवाहित पुत्री।”

धारा 110 का संशोधन

18-मूल अधिनियम की धारा 110 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

“110-जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित, धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा:-

(क) पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में;



परन्तु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा;

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा, जिसने विवाह कर लिया है, अपवर्जित हो जायेगी;

(ख) पति;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ङ) पिता;

(च) विधवा माता;

(छ) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, और भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री प्रतिशाखा अनुसार;

(ज) अविवाहित बहिन;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री।”

19—मूल अधिनियम की धारा 210 में, उपधारा (1) में शब्द “कोई अपील नहीं हुयी” के स्थान पर शब्द “कोई अपील नहीं हो सकती है” रख दिये जायेंगे। धारा 210 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, धारा-131 की उपधारा (4) और धारा-133 के सापेक्ष प्रविष्टियों में शब्द “तहसीलदार” के स्थान पर शब्द “उपजिलाधिकारी” रख दिये जायेंगे। तृतीय अनुसूची का संशोधन

निरसन और  
व्यावृत्ति

21(1)—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या 2  
सन् 2019

(2)—ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-खातेदारों और भू-राजस्व से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिकीकरण और कृषि विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुगम बनाने के उद्देश्य से किसी भूमिधर या किसी असामी को किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति या कृषि हेतु या कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी अन्य विधिमान्य इकाई को अपनी जोत या उसके आंशिक भाग को पट्टे पर देने और संपूर्ण राज्य में भूमिधारकों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में परिवर्तन करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया था।

पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया गया था और उसके द्वारा पारित किया गया था। उक्त विधेयक, महामहिम राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल महोदय द्वारा आरक्षित कर लिया गया था और उस पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने उक्त विधेयक में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया था। भारत सरकार के सुझाव पर विचार करने के पश्चात यह विनिश्चय किया गया कि उक्त विधेयक को वापस ले लिया जाय और उसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया जायेगा।

चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2019) प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
जे० पी० सिंह-II,  
प्रमुख सचिव।

No. 1469(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)4-19

*Dated Lucknow, August 5, 2019*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Samhita (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2019. The Rajaswa Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

#### THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT)

ACT, 2019

(U.P. Act No. 7 of 2019)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 for facilitating the availability of land for industrialization and agricultural development in the state of Uttar Pradesh and for changes in subjects related to inheritance of land holders.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 10, 2019.

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 8 of 2012

2. In section 24 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4), for the words "the order of the Commissioner shall be final," the words "The order of the Commissioner shall, subject to the provisions of section 210, be final" shall be substituted.

3. In section 38 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "The decision of the Commissioner shall be final," the words "The decision of the Commissioner shall, subject to the provisions of section 210, be final" shall be *substituted*.

Amendment of  
section 38

4. In section 66 of the principal Act, in sub-section (3) for the words "Every order of the Collector made under this section shall be final", the words "Every order of the Collector made under this section shall, subject to the provisions of section 210, be final" shall be *substituted*.

Amendment of  
section 66

5. In section 69 of the principal Act, in sub-section (3) for clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely :-

Amendment of  
section 69

"(c) The payment of expenses incurred on protection, preservation and development of lands of common utility; and"

6. In section 72 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely:-

Amendment of  
section 72

"(c) one or more Divisional Government Counsel (Revenue) for the divisional head-quarters who shall also look after the work related to Circuit Courts of the Board, (wherever Circuit Courts exist at Division level) and"

7. In section 77 of the principal Act, in sub-section (2) for the words "in the same Gram Panchayat" the words "in the same or any nearby Gram Panchayat" shall be *substituted*.

Amendment of  
section 77

8. For section 80 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :-

Amendment of  
section 80

"80 (1) Where a bhumidhar with transferable rights uses his holding or part thereof, for industrial, commercial or residential purposes, the Sub-Divisional Officer may, suomotu or on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, either make a declaration that the land is being used for the purpose not connected with agriculture or reject the application. The Sub-Divisional officer shall take a decision on the application within forty five working days from the date of receipt of the application. In case the application is rejected, the Sub-Divisional officer shall state the reasons in writing for such rejection and inform the applicant of his decision.

(2) Where a bhumidhar with transferable rights proposes to use in future his holding or part thereof, for industrial, commercial or residential purposes, the Sub-Divisional Officer may on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, either make a declaration that the land may be used for the purpose not connected with agriculture or reject the application, within forty five working days from the date of receipt of the application. In case the application is rejected, the Sub-Divisional officer shall state the reasons in writing of such rejection and inform the applicant of his decision:

Provided that for declaration under this sub-section there must exist a boundary wall surrounding the holding or part thereof, which is proposed to be used for such purpose:

Provided further that if the bhumidhar fails to start the proposed non agricultural activity within a period of five years from the date of declaration under this sub-section, then the declaration under sub-section (2) for the holding or part thereof shall lapse:

Provided also that a declaration under this sub-section (2) shall not amount to change of land use and the land shall continue to be treated as agricultural land only. However, the bhumidhar shall be entitled to obtain loan and other necessary permissions, clearances etc. for the activity or project, proposed on the holding or part thereof, for which declaration under this sub-section has been obtained.

(3) A bhumidhar possessing declaration under sub-section (2) for his holding or part thereof, may apply to Sub-Divisional officer for converting declaration under sub-section (2) to a declaration under sub-section (1), after completion of construction activity or start of the proposed non- agricultural activity, within a period of five years from declaration under sub-section (2). On receipt of such an application, the Sub-Divisional officer, after making such enquiry as necessary, shall approve or reject the application within a period of 15 days from the receipt of the application. In case of rejection, he shall record in writing the reasons for such rejection:

Provided that for conversion of declaration under sub-section (2) to a declaration under sub-section (1), the bhumidhar shall be liable to pay only the balance amount of fee payable, calculated at prevailing circle rate, after adjusting the amount already paid by him for declaration under sub-section (2) earlier.

(4) No application for a declaration under sub-section (1) or (2), moved by any co-bhumidhar having undivided interest in bhumidhari land shall be maintainable, unless application is moved by all the co-bhumidhars of such bhumidhari land. In case only one of the co-bhumidhar wants to get a declaration for his share in the land with joint interest, then such an application shall be entertained only after the respective shares of the co-bhumidhars in the land have been divided in accordance with the provisions of law.

(5) The application for declaration [under sub-section (1) or sub-section (2)] shall contain such particulars and shall be made in such manner as may be prescribed.

(6) Where the application under sub-section (1) or sub-section (2) is made in respect of a part of the holding, the sub-divisional officer may, in the manner prescribed, demarcate such part for purposes of such declaration.

(7) No declaration under this section shall be made by the sub-divisional officer, if he is satisfied that the land or part thereof is being used or is proposed to be used for a purpose which is likely to cause a public nuisance or to affect adversely public order, public health, safety or convenience or which is against the uses proposed in the master plan.

(8) In case the land or part thereof for which a declaration under this section is being sought falls within the area notified under any Urban or Industrial Development Authority, then prior permission of the concerned Development Authority shall be mandatory.

(9) The State Government may fix the scale of fees for declaration under this section and different fees may be fixed for different purposes:

Provided that if the applicant uses the holding or part thereof, for his own residential purpose, no fee shall be charged for the declaration under this section."

Amendment of  
section 81

9. In section 81 of the principal Act, for the words and figures "section 80" the words and figures "sub-section (1) of section 80" shall be *substituted*:

Amendment of  
section 89

10. In section 89 of the principal Act, for sub-section (3) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:-

"(3) The State Government or an officer authorized for this purpose under this Act may approve an acquisition or purchase done or proposed to be done, in excess of the limits specified in sub-section (2), if such acquisition or purchase is in favour of a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution; and if it is of opinion that the acquisition or purchase would be in public interest and likely to generate economic activities (other than agricultural) and provide employment. In such case, the provisions of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holding Act, 1960 shall not apply to such acquisition:

Provided that where the land has been acquired or purchased by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution, without obtaining prior approval under this sub-section the State Government or an officer authorized for this purpose under this Act, may give its approval for regularizing such acquisition or purchase afterwards on payment of an amount as fine, which shall be five percent of the cost of the land in excess of the limit prescribed under sub-section (2), calculated as per the circle rate prevailing at the time of making the application.

(4) Permission under sub-section (3) for acquisition or purchase of land by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any educational or a charitable institution in excess of limits prescribed under sub-section (2) shall be granted, on the conditions and in the manner prescribed, by :-

(i) the Collector concerned for acquisition or purchase of land upto 20.2344 hectares;

(ii) the Commissioner concerned for acquisition or purchase of land more than 20.2344 hectares and upto 40.4688 hectares;

(iii) the State Government for acquisition or purchase of land more than 40.4688 hectares.

Provided that if the applicant fails to set up the project within a period of five years from the date of grant of permission under sub-section (3), the same shall lapse and the land acquired or purchased in excess of the limit prescribed under sub-section (2) shall vest in the State and the consequences of section 105 shall become applicable:

Provided further that the State Government may extend the period of permission granted under sub section (3) for a further period of maximum three years, after recording reasons for the same."

11. For section 94 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Amendment of  
section 94

"94 (1) A Bhumidhar may lease out his holding or any part thereof to  
Lease by a  
Bhumidhar any person, firm, company, partnership firm, limited liability  
partnership firm, trust, society or any other legal entity for  
agriculture or for setting up a solar energy plant. Such lease shall be  
known as the private lease by a bhumidhar.

(2) Private lease by a Bhumidhar means a contract based on an agreement, with mutually agreed terms and conditions, between Lessor, who may be a Bhumidhar and the Lessee who wishes to undertake agricultural activities or set up a solar energy plant, by which the Lessor grants permission to the Lessee to use the land or holding or any part thereof for agricultural purposes or for establishment of solar energy plant, against a consideration in cash or kind or a share of produce, payable to the Lessor as per the lease agreement.

(3) Period of private lease by a bhumidhar – maximum period of the private lease by a Bhumidhar shall not exceed fifteen years at a time:

Provided that, after the expiration of the first lease period, the duration of lease period may be further extended by mutual consent of the Lessor and the Lessee:

Provided further that for purpose of establishing a solar energy plant, the maximum period may be upto thirty years.

(4) Conditions of the private Lease by a bhumidhar- The terms and conditions of the private lease by a bhumidhar shall be as mutually agreed between the Lessor and Lessee. The general conditions of the lease shall be in the manner as may be prescribed."

Amendment of  
section 95

12. For section 95 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"95 Private lease by a bhumidhar may be oral or in writing or Registered  
Lease- how made, (1) Private Lease by a bhumidhar for a single crop or  
its termination for period upto one year may be either oral or in writing.  
and any dispute Lease agreement for period exceeding one year shall be  
arising thereto made by a registered instrument only.

(2) Private Lease by a bhumidhar to be recorded in remarks column of Record of Rights - In case of written or registered lease agreement, a copy of the agreement or deed shall be made available to Revenue Inspector concerned, who shall pass order for recording the details of the private lease by a bhumidhar lease agreement (names and other details of Lessor and Lessee; date of agreement; period of lease; proposed use of land; and annual lease rent) in the Remarks column of Record of Rights (khatauni).

(3) Private Lease by a bhumidhar shall not create any type of Tenancy Right- An agreement of private lease by a Bhumidhar either registered under the Registration Act 1908 or countersigned by a Revenue Officer or Gram Pradhan or notarized by a Notary or oral, shall not create or confer any rights or interest in favour of the Lessee over the leased land, including protected tenancy or occupancy right or any other right against eviction or lease termination, other than those contained in this Act or Rules, the lease agreement shall not be used by the Lessee to establish and permanent right over the leased land in any Court of Law.

(4) Resumption of Land- After expiration of the private lease by a bhumidhar period of or termination of such private lease, the instrument of private lease by a bhumidhar shall be a nullify and if the period of such private lease is not extended, the leased land shall automatically revert to the Lessor and the Lessee shall hand over peaceful possession of the land, free from all encumbrances, to the Lessor and shall cease to have any right, title or interest in the land so leased out.

*Explanation- Regardless of any dispute, arising out of private lease made under Section-94, pending before any Court of Law, the Lessor shall be entitled to get peaceful possession of the leased land after the expiration of the private lease period and the Lessee shall have no right to retain possession over the leased land.*

(5) Effect of Private Lease by a bhumidhar - The provisions contained in the Code regarding private lease by a bhumidhar shall not have retrospective effect.

(6) Termination of the private lease by a bhumidhar -

(a) Unless extended by mutual consent between the Lessor and Lessee, the private lease agreement would terminate on expiry of the private lease period mentioned in the agreement,

(b) In case of non-payment of consideration amount or annual lease rent by the Lessee by the due date, or if any of the terms and conditions of the private lease are violated by him, the private lease by a bhumidhar agreement may be terminated by the Lessor, prior to expiry of the lease period, after giving due notice to the Lessee in writing.

(c) In case the private lease agreement is proposed to be terminated prematurely by the Lessor, then the Lessee shall be entitled to remove such structures, machinery etc. that were created or installed by the Lessee on the leased land. The Lessee would also be entitled to recover such damages and compensation from the Lessor, as agreed upon and laid down in the private lease agreement.

(d) In case the Lessee wishes to terminate the lease agreement prematurely or surrenders the land during the private lease by a bhumidhar period, then he shall have to give at least six months' notice to the Lessor and shall also be liable to pay the annual rent for the remaining part of the year to the Lessor, in addition to such other compensation, as agreed upon and laid down in the private lease by a bhumidhar agreement or as prescribed.

(e) In case after expiration of the private lease by a bhumidhar period or termination of the lease agreement, the Lessee fails to handover peaceful possession of the leased land to the Lessor, the Lessee shall be treated as unauthorised occupant and shall be liable to be ejected from the leased land. The Lessee shall also be liable to pay such penal rent or damages to the Lessor for the period of unauthorised occupation, as provided in the private lease by a bhumidhar agreement, in addition to the cost of such ejection.

(f) The Lessor and Lessee may terminate the private lease by a bhumidhar on mutually agreed terms at any time.

(7) Disputes arising out of the private lease by a bhumidhar-

(a) In an event of a dispute arising out of the private lease agreement by a bhumidhar, or any terms and conditions thereof, the Lessee and the Lessor shall make all efforts to amicably resolve and settle the dispute amongst themselves or if mutually agreed, by using mediation by a third party arbitrator or Gram Panchayat or Village Revenue Committee.

(b) If the dispute is not settled through the mechanism mentioned in clause (a) either party may file a petition before the Sub-Divisional Officer.

(c) The Sub-Divisional Officer shall adjudicate the dispute using the summary procedure within a period of thirty days of its institution.

(d) An appeal against the order, other than an interim order, passed by a Sub-Divisional Officer, shall lie before the Commissioner. The decision of Commissioner shall subject to the provision of section 210, be final."

13. Sections 96 and 97 of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of sections 96 and 97

14. Section 103 of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 103

15. For section 104 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

Amendment of section 104

"104. Every Lease or transfer of interest in any holding or part thereof made by a bhumidhar or any asami in contravention of the provisions of this Code shall be void."

16. In section 105 of the principal Act, in sub-section (1) after clause (d) the following clause shall be *inserted*, namely :-

Amendment of section 105

"(e) the provisions of this section shall not apply to any lease made under section 94."

17. In section 108 of the principal Act, for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

Amendment of section 108

"(2) The following relatives of the male bhumidhar, asami or government lessee are heirs, subject to the provisions of sub section (1), namely-

(a) widow, unmarried daughter and the male lineal descendants in the male line of descent as per stirpes :

Provided that the widow and the son and unmarried daughter of a predeceased son how low-so-ever shall inherit per stirpes the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

(b) mother and father;

(c) married daughter;

(d) brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased, and son and unmarried daughter of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;

(e) son's daughter;

(f) father's mother and father's father;

(g) daughter's son and unmarried daughter;

(h) married sister;

(i) half sister, being the daughter of the same father as the deceased;

(j) sister's son and unmarried daughter;

(k) half sister's son, and unmarried daughter, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(l) brother's son's son and unmarried daughter;

(m) father's father's son and unmarried daughter;

(n) father's father's son's son and unmarried daughter;

(o) mother's mother's son and unmarried daughter."

Amendment of  
section 110

18. In section 110 of the principal Act, the following section shall be substituted namely:-

"110 Where any female bhumidhar, asami or a government lessee dies, after the commencement of this Code, then her interest in any holding or its part shall subject to the provisions of Sections 107 to 109 devolve, in accordance with the order of succession given below—

(a) son, unmarried daughter, son's son and unmarried daughter, son's son's son and unmarried daughter, predeceased son's widow, and predeceased son's predeceased son's widow, in equal shares as per stirpes:

Provided firstly that the nearer shall exclude the remoter in the same branch :

Provided secondly that a widow who has remarried, shall be excluded;

(b) husband;

(c) married daughter;

(d) daughter's son and unmarried daughter;

(e) father;

(f) widowed mother;

(g) brother, being the son of the same father as the deceased and brother's son and unmarried daughter as per stirpes;

(h) unmarried sister;

(i) married sister;

(j) sister's son and unmarried daughter."



19. In section 210 of the principal Act, in the Hindi version, in sub-section (1) for the words "कोई अपील नहीं हुयी" the words "कोई अपील नहीं हो सकती" shall be substituted.	Amendment of section 210
20. In the third Schedule to the principal Act, in the entries against sub-section (4) of section 131 and 133 for the word "Tehsildar" the words "Sub-divisional officer" shall be substituted.	Amendment of the third schedule
<div data-bbox="213 358 313 452" data-label="Text"> <p>U.P. Ordinance no.2 of 2019</p> </div> <div data-bbox="354 358 1164 607" data-label="Text"> <p>21. (1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.</p> <p>(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.</p> </div>	Repeal and saving

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 has been enacted to consolidate, and amend the law relating to land tenures and land revenue in the State of Uttar Pradesh. It was decided to amend the said Act with a view to facilitating the availability of land for industrialization and agricultural development in the State of Uttar Pradesh, to authorize a bhumidhar or an asami to lease out his/her holding or any part thereof to any person, firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any other legal entity for agriculture or for setting up a solar energy plant and for making changes in the subjects related to inheritance of land holders in the whole of the state.

In order to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Bill, 2018 was introduced in, and passed by, the Uttar Pradesh State Legislature. The said Bill was reserved by the Governor for the consideration of the President and sent to the Government of India for obtaining the assent of the President thereon. The Government of India had suggested certain amendments in the Bill. After considering the suggestion of the Government of India it was decided that the said Bill should be withdrawn and in place thereof the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Bill, 2019 by incorporating the amendments suggested by the Government of India shall be introduced in the State Legislature.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2019 (U.P. Ordinance no.2 of 2019) was promulgated by the Governor on March 10, 2019.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,  
J.P. SINGH-II,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 186 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(555)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 63 सा० विधायी-2019-(556)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।